बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
विकास भवन, पटना–15

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी/सचिवालय सहायक के पद पर सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सचिवालय सहायकों का संविदा आधारित नियोजन सूचना।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध कुल–4 (चार) {अनारक्षित–1, अनारक्षित महिला–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1, अनुसूचित जाति–1} एवं सचिवालय सहायकों के रिक्त पदों के विरूद्ध कुल–10(दस) {अनारक्षित–4, अनारक्षित महिला–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–1, पिछड़ा वर्ग–1, अनुसूचित जाति–1, अनुसूचित जाति महिला–1} पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000, दि0–10.07.2015 एवं पत्र सं0–3815, दि0–11.03.2016 के निहित प्रावधान के तहत बिहार सचिसालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारियों/सहायकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसकी अंतिम तिथि 29.12.2021 है। इससे संबंधित विस्तृत सूचना एवं आवेदन प्रपत्र विभागीय बेबसाईट state.bihar.gov.in/registration/citizenhome.html पर अवलोकन/डाउनलोड की जा सकती है।

09.12.21

(विनय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/ई1–मु0स्था0–101/2021–7087 पटना, दिनांक–09.12.21

प्रतिलिपिः–

1. आई0टी0 प्रबंधक, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. विभागीय नोडल पदाधिकारी (श्री मनोज कुमार संजय) के माध्यम से राज्य के तीन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित।

09.12.21

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

D:\Pappu 2021\Letter2021 pappu prabhaji..docx

बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार
विकास भवन, पटना–15

प्रशाखा पदाधिकारी/सचिवालय सहायक के पद पर सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सचिवालय सहायकों का संविदा आधारित नियोजन सूचना

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध कुल–4 (चार) {अनारक्षित–1, अनारक्षित महिला–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1, अनुसूचित जाति–1} एवं सचिवालय सहायकों के रिक्त पदों के विरूद्ध कुल–10 (दस) {अनारक्षित–4, अनारक्षित महिला–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–1, पिछड़ा वर्ग–1, अनुसूचित जाति–1, अनुसूचित जाति महिला–1} पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000, दि0–10.07.2015 एवं पत्र सं0–3815, दि0–11.03.2016 के निहित प्रावधान के तहत बिहार सचिवालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सहायकों से निम्नांकित शर्त्तों पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

1. प्रशाखा पदाधिकारी/सचिवालय सहायक के पद पर संविदा के आधार पर चयन प्रथम चरण में दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा। संविदा पर नियोजन की अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक होगी। आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा।
2. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संताषजनक नहीं पाये जाने की स्थिमि में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।
3. सामन्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000, दि0–10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
4. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और ना ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे।
5. नियोजन हेतु सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। चयन के लिए आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा, जो बिन्दु एक से प्रारम्भ होगा।
6. आवेदन के साथः–
   i. आवेदक द्वारा अपने अंमिम पदस्थापन विभाग से निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा अपनी सेवा के अंतिम पांच वर्षो का वार्षिक गोपनीय अभयुक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की छायाप्रति (यदि उपलब्ध हों) समर्पित करेंगे।
   ii. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न कराना अनिवार्य होगा किः–
   (क) उनके विरूद्ध कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।
   (ख) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
   (ग) कभी किसी मामले में उन्हें दंडित नही किया गया है।
   (घ) उनके विरूद्ध कोई गम्भीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
7. नियोजन के समय स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।
8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।
9. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3815, दि0–11.03.2016 में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन किया जायेगा।
10. आरक्षण कोटि के विरूद्ध नियोजन की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं पी0पी0ओ0 की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो के साथ आवेदन प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
11. संविदा पर नियोजन के किसी भी स्तर पर नियोजित किये जाने वाले सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सचिवालय सहायकों की कुल संख्या/कोटिवार संख्या में परिवर्त्तन (कम/अधिक) करने की शक्ति विभाग के पास सुरक्षित रहेगी।
12. इच्छुक सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सचिवालय सहायक अपना पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र (संलग्न) में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करेंगे। संबंधित सूचना मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट state.bihar.gov.in/registration/CitizenHome.html पर देखा जा सकता है।

27.12.21

(विनय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

अद्यतन
स्व–अभिप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकायें।

संविदा आधारित प्रशाखा पदाधिकारी/सचिवालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

1	सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक का नामः– (मोबाईल नं0)–	
2	अभ्यर्थी के पिता/पति का नामः–	
3	जन्म तिथिः–	
4	वर्त्तमान पताः–	
5	स्थायी पताः–	
6	नियुक्ति तिथिः– (सहायक के पद पर)	
7	सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पी0पी0ओ0 नं0– (पी0पी0ओ0 की छायाप्रति के साथ)	
8	विभाग का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त हुआ हैः–	
9	सेवा के अंतिम पाँच वर्षों का वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की छायाप्रति (यदि संलग्न हैं तो वर्ष)/स्वच्छता प्रमाण पत्र (अंतिम पदस्थापन विभाग द्वारा निर्गत)	
10	विभिन्न विभागों में अलग–अलग कार्यानुभव की अवधिः–	
11	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लम्बित है या नहीं से संबंधित शपथ–पत्र	
12	सेवाकाल में यदि कोई दण्ड मिला हो तो उसका विवरणः–	
13	क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है यदि हाँ तो कोटि (जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति सहित)	

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथिः–.................................

स्थानः–.................................